कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 219 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–30-7-2022.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28हे0 आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048हे0 आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79हे0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51हे0 आरक्षित वन भूमि एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग में 54.652हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल प्रभावित 319.28हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–2409/11–सी दिनांक–17.02.2021, पत्रांक–3393/11–सी दिनांक–31.05.2022, इस कार्यालय के पत्रांक– 2211/ओबरा/33 दिनांक–15.03.2022 पत्रांक–3021/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–16.06.2022 तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, (द्वितीय), उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, वाराणसी का पत्र संख्या–1705 /वि0प्रे0ख0–गा0 दिनांक–28.07.2022.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। उनके द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2409/11–सी दिनांक–17.02.2021 द्वारा 02 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए सन्दर्भित पत्र में इंगित कमियों का निराकण करनें का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–2211/ओबरा/33 दिनांक–15.03.2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। पुनः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–3393/11–सी दिनांक–31.05.2022 द्वारा आपत्ति लगायी गयी थी, जिसका निराकरण करते हुए, सूचना/अभिलेख पांच प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, (द्वितीय), उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, वाराणसी से अनुरोध किया गया। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, (द्वितीय), उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक– पत्रांक–1705/वि0प्र0ख0 दिनांक–28.07.2022 द्वारा आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया हैः–

''अवगत कराना है कि 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किल विद्युत परेषण लाईन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को हस्तान्तरित किया गया था, जिसमें कोई समय सीमा वर्णित नहीं है। भारत सरकार के उक्त पत्र के क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0 444/14–2 –93– 707/89 दिनांक– 08/23 फरवरी 1994 में उपरोक्त विषयक

परियोजना 20 वर्षो के लिए लीज पर हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेख किया गया है। संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या 03 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:–

''उक्त भूमि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी।''

तत्क्रम में वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात तत्काल इस कार्यालय द्वारा उक्त वन भूमि को लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित वन प्रभाग के माध्यम से उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रकिया जटिल होने तथा कोई स्पष्ट गाईडलाईन संज्ञानित न होने के कारण लीज नवीनीकरण प्रकिया में समय लग रहा है। इसलिए उक्त परियोजना के लीज नवीनीकरण प्रकिया में प्रकियात्मक विलम्ब हुआ है, जिसमे किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है।

उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात भी इस कार्यालय द्वारा उक्त भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उक्त भूमि का उपयोग किये जाने को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है जब कि भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित गाईड लाईन दिनांक–29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न की पूर्व मे दिये गये अनुमति से क्योकि उक्त परियोजना उक्त वन भूमि पर वर्ष 1994 से बनी है, जिसे वर्ष 2014 में लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त वन भूमि से हटाया नहीं जा सकता है। उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त वन भूमि के उपयोग की आवश्यकता अभी भी है, जिस कारण उक्त वन भूमि को उ0प्र0 सरकार से पुनः लीज पर लेने तथा पट्टा कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को सम्बन्धित वन प्रभाग में वर्ष 2014 में जमा कर दिया गया था। लीज समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) सम्बन्धित वन प्रभागों से मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट भी ससमय जमा किया जाता रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति प्रश्नगत परियोजना का लीज समाप्ति होने के उपरान्त वन भूमि के उपयोग को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न मानते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाना न्यायोचित होगा।''

महोदय को अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा तत्समय में जारी अनुमति में समय–सीमा नहीं थी तथा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित लीज अवधि के समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात भी प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट का भुगतान किया जा रहा है। ऐसी दशा में लीज अवधि के उपरान्त भी प्रस्तावक विभाग द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः महोदय को प्रस्तावक विभाग के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उल्लिखित तथ्यों को अपने स्तर से उच्च स्तर पर प्रेषित करनें की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Electricity Transmission Division Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233002

E-mail-eeetd2var@upptcl.org
Mob 9415311047

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक 1705 वि0प्रे0खं0–गा0)/ दिनांक 28/07/2022

विषयः– 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किल विद्युत परेषण लाईन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा सोनभद्र।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–3393/11–सी दिनांक–31.05.2022 तथा आपके कार्यालय का पत्रांक–302/ /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–16.06.2022.

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक–29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही, दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना, दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि 400 के0वी0 अनपरा –वाराणसी डबल सर्किल विद्युत परेषण लाईन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को हस्तान्तरित किया गया था, जिसमे कोई समय सीमा वर्णित नहीं है। भारत सरकार के उक्त पत्र के क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0 444/14–2–93–707/89 दिनांक– 08/23 फरवरी 1994 में उपरोक्त विषयक परियोजना 20 वर्षों के लिए लीज पर हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेख किया गया है। संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या 03 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। "उक्त भूमि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी।"

तत्क्रम में वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात तत्काल इस कार्यालय द्वारा उक्त वन भूमि को लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित वन प्रभाग के माध्यम से उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने तथा कोई स्पष्ट गाईडलाईन संज्ञानित न होने के कारण लीज नवीनीकरण प्रक्रिया में समय लग रहा है। इसलिए उक्त परियोजना के लीज नवीनीकरण प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ है, जिसमे किसी अधिकारी/कर्मचारी

आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात भी इस कार्यालय द्वारा उक्त भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उक्त भूमि का उपयोग किये जाने को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है जब कि भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित गाईड लाईन दिनांक–29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न की पूर्व मे दिये गये अनुमति से क्योंकि उक्त परियोजना उक्त वन भूमि पर वर्ष 1994 से बनी है, जिसे वर्ष 2014 में लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त वन भूमि से हटाया नही जा सकता है। उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त वन भूमि के उपयोग की आवश्यकता अभी भी है, जिस कारण उक्त वन भूमि को उ0प्र0 सरकार से पुनः लीज पर लेने तथा पट्टा कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को सम्बन्धित वन प्रभाग में वर्ष 2014 में जमा कर दिया गया था। लीज समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) सम्बन्धित वन प्रभागों से लीज रेंट मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट भी समय समय जमा किया जाता रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत परियोजना का लीज समाप्ति होने के उपरान्त वन भूमि के उपयोग को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न मानते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाना न्यायोचित होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव को उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने की कृपा करें, जससे कि उ0प्र0 शासन द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा तत्समय में जारी अनुमति पर विचार करते हुए, आवयक अग्रेतर कार्यवाही किया जा सके।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं–(गा0) दिनांक.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (पा0उ0पू0), 132 के0वी0 उपकेन्द्र मोहद्दीपुर, गोरखपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (परि0 एव कय) 13वा तल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता वि0प्रे0मं0, गाजीपुर।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

29/07/2022